रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्य प्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **02/40/01/21745/17**

यह प्रमाणित किया जाता है कि **श्री रघुवंश शिक्षा एवं जन सेवा समिति**,समिति जो **वार्ड नं. 07, म.नं. 129, ग्राम-मावन** तहसील **गुना** जिला **गुना** में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन **24 अगस्त 2017** को पंजीयित की गई है।

Signature valid
Digitally Signed By BHAGWAN DAS KUBER
(Personal)
Date: 24-Aug-2017 11:06:04 IST

दिनांक 24 अगस्त 2017

समितियों के रजिस्ट्रार

Note : This is a Digitally Signed document On 24/08/2017 11:06 AM

जा. 2276
18/9/17

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : S1060104438526072017	अनुमोदन दिनाँक : 15 Aug 2017

1. सोसायटी का नाम श्री रघुवंश शिक्षा एवं जन सेवा समिति होगा।

2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक वार्ड नं. 07, म.नं. 129, ग्राम-मावन 473001 तहसील Guna जिला Guna मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9993284611 ईमेल आईडी pradeepraghuwanshi50@gmail.com

3. 3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

1	जनता में शिक्षा के प्रचार के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय तथा अन्य प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और उनका संचालन करना एवं अल्प संख्यकों के शिक्षा, मदरसा एवं छात्रावास का संचालन करना।
2	ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज की भावना के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिये कार्य करना। ग्राम विकास हेतु शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना तथा [illegible] का आयोजन करना। पशु पक्षी एवं प्राणीमात्र की रक्षा हेतु कार्य करना तथा गौशाला का संचालन करना।
3	विकलांगों के कल्याणार्थ शिक्षण, प्रशिक्षण [illegible] आश्रमों का संचालन करना एवं कलाकारों को प्रोत्साहन देना एवं नशामुक्ति कार्यक्रम चलाना। [illegible] महापुरुषों की शिक्षाओं एवं उनकी जयन्तियों एवं राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करना, राष्ट्रीय [illegible] सद्भावना एवं साम्प्रदायिक एकता के लिए कार्य करना एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना। व्यायाम, योग [illegible] कराते एवं आयुर्वेदिक व जड़ी-बूटियों के उपयोग की जानकारी देना।
4	डी.एड., बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. एवं टीचर इंस्टीट्यूट पाठ्यक्रम एवं पत्राचार पाठ्यक्रम एवं व्यवसायिक डिप्लोमा कोर्स एवं प्रशिक्षण कोर्स के केन्द्रों का संचालन करना तथा विज्ञान एवं टेक्नॉलोजी के विकास हेतु कार्य करना।
5	विश्वविद्यालयों एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेशनल ओपन स्कूल द्वारा दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र का संचालन करना। एकेडेमी कोर्स, वोकेशनल कोर्स का संचालन करना। आई.टी.आई. व कम्प्यूटर केन्द्रों आदि पाठ्यक्रमों का संचालन करना।
6	श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों, दलितों, शोषितों बाल श्रमिकों, वेश्यावृत्ति के व्यवसाय से लगे लोगों, असाध्य एवं घातक बीमारियों से ग्रसित लोगों, उनके परिवारों एवं महिलाओं एवं बच्चों की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर कार्य कर शासन की योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुँचाना।
7	पंचायत एवं समाज सेवा, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, नेहरू युवा केन्द्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़ा वर्ग, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और समाज कल्याण बोर्ड की जनकल्याणकारी योजनाएँ एवं कार्यक्रमों द्वारा गरीबों, विकलांगों, वृद्धों, महिलाओं एवं बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजातियों, आदिवासी और अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कार्य करना।
8	आवासीय आश्रम, प्रशिक्षण संस्था, विद्यालय और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन करना, परामर्श केन्द्र खोलकर

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

	लाभान्वित करना एवं शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार व प्रसार करना। कृषकों के विकास हेतु कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये शासन के कार्यक्रम संचालित करना।
9	पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, भू-संरक्षण, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु कार्य करना एवं प्रशिक्षण व शिक्षण कार्यक्रम चलाना। अकाल, सूखा राहत, जल समस्याक, प्राकृतिक प्रकोप, आकस्मिक दुर्घटना, भूकम्प अन्य समस्याओं के आने पर कार्य करना एवं शासन का सहयोग करना। बच्चों के लिये झूलाघर बालवाड़ी का संचालन ।
10	उपभोक्ता संरक्षण एवं विधिक सहायता, जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण एवं सहायता केन्द्रों का संचालन करना। गरीबों के लिये सामूहिक विवाह का नियमानुसार आयोजन करना। दहेज, बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम का संचालन करना । हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना एवं शिल्पकारों के कल्याणार्थ उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना व संचालित करना एवं शिल्पकारों के कल्याणार्थ कला कौशल में वृद्धि हेतु शिक्षण व प्रशिक्षण देना।
11	खेलकूद एवं टूर्नामेंट खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा साँस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
12	अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सहरिया गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली ग्रामीण, शहरी, गन्दी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी निवासियों के कल्याण हेतु तथा पीड़ित, प्रताड़ित, विधवा, निराश्रित, विकलांग, जरूरतमंद, परित्यक्ताओं निराश्रित पीड़ित ग्रस्त एवं अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे तथा नेत्रहीन, विकलांगों के कल्याण हेतु बालक/बालिकाओं और प्रौढ़ महिलाओं शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।
13	बुनियादी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा संस्थाओं व केन्द्रों का संचालन करना । झूलाघर, बालबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, पेंटिंग प्रशिक्षण सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टायपिंग एवं अन्य प्रशिक्षण प्रशिक्षण एवं खाद्य तथा पोषण प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना एवं विज्ञान शिक्षा [illegible] कलाओं की अभिवृद्धि के लिये कार्य करना और पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन करना तथा स्वास्थ्य केन्द्र विकलांग केन्द्र , नशामुक्ति केन्द्र का संचालन करना।
14	नाबार्ड, नौराड, कपार्ट योजनांतर्गत केन्द्र खोलना व उनका संचालन करना। योग ध्यान एवं आध्यात्मिक के क्षेत्र में कार्य करना । समाज के विभिन्न वर्गों जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तथा सर्व समाज के परिचय सम्मेलनों तथा सामूहिक विवाह सम्मेलनों का नियमानुसार आयोजन करना।
15	टीचर ट्रेनिंग महाविद्यालयों का संचालन करना, जैसे -डी.एड., बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड. एम.पी.एड. आदि पाठ्यक्रमों का संचालन करना एवं पत्राचार पाठ्यक्रम, व्यवसायिक डिप्लोमा कोर्स, विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स के केन्द्रों का संचालन करना तथा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के विकास हेतु कार्य करना ।
16	सामान्य महाविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करना । जैसे बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम (अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर सहित) बी.बी.ए., बी.सी.ए., डी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एस.सी., बी.ए.फायनल आर्टस, बी.ए. म्यूजिक, बी.एस.सी. इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा एवं डिग्री कॉलेजों का संचालन करना ।
17	विश्वविद्यालयों एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेशनल ओपन स्कूल द्वारा दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र का संचालन करना । एकेडेमी कोर्स, वोकेशनल कोर्स का संचालन करना ।
18	आई.टी.आई. व कम्प्यूटर केन्द्रो आदि पाठ्यक्रमों का संचालन करना । पैरामेडिकल महाविद्यालय के पैरामेडिकल कॉउंसिल के द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का संचालन करना । नर्सिंग ट्रेनिंग महाविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे – ए.एन.एम., जी.एन.एम., पोस्ट बेसिक (डिप्लोमा), बी.एस.सी. नर्सिंग, एम.एस.सी. नर्सिंग आदि पाठ्यक्रमों का संचालन करना ।

4. 1. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है:-

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | सचिव

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	श्री प्रदीप रघुवंशी	श्री वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी	अध्यक्ष	वार्ड नं. 07, म.नं. 129,, मंदिर मोहल्ला, ग्राम-मावन,, Guna, Guna, Madhya Pradesh	समाज सेवा
2	श्री हेमन्त रघुवंशी	श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी	उपाध्यक्ष	वार्ड नं. 20, म.नं. 461,, ग्राम-डुगांसरा,, Isagd, Ashok Nagar, Madhya Pradesh	समाज सेवा
3	श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी	स्व.श्री गोविन्द सिंह रघुवंशी	सचिव	वार्ड नं. 20, म.नं. 461,, ग्राम-डुगांसरा,, Isagd, Ashok Nagar, Madhya Pradesh	समाज सेवा
4	श्री वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी	श्री चन्दन सिंह रघुवंशी	कोषाध्यक्ष	वार्ड नं. 07, म.नं. 129,, मंदिर मोहल्ला, ग्राम-मावन,, Guna, Guna, Madhya Pradesh	शिक्षक
5	श्री महावीर रघुवंशी	श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी	संयुक्त सचिव	वार्ड नं. 20, म.नं. 461,, ग्राम-डुगांसरा,, Isagd, Ashok Nagar, Madhya Pradesh	व्यवसाय
6	श्रीमती वन्दना रघुवंशी	श्री प्रदीप रघुवंशी	सदस्य	वार्ड नं. 07, म.नं. 129,, मंदिर मोहल्ला, ग्राम-मावन,, Guna, Guna, Madhya Pradesh	गृहणी
7	श्रीमती आशा रघुवंशी	श्री वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी	सदस्य	वार्ड नं. 07, म.नं. 129,, मंदिर मोहल्ला, ग्राम-मावन,, Guna, Guna, Madhya Pradesh	गृहणी

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के नियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	श्री प्रदीप रघुवंशी , श्री वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी, वार्ड नं. 07, म.नं. 129,, मंदिर मोहल्ला, ग्राम-मावन,, Guna, Guna, Madhya Pradesh	
2	श्री हेमन्त रघुवंशी , श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी, वार्ड नं. 20, म.नं. 461,, ग्राम-डुगांसरा,, Isagd, Ashok Nagar, Madhya Pradesh	
3	श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी , स्व.श्री गोविन्द सिंह रघुवंशी, वार्ड नं. 20, म.नं. 461,, ग्राम-डुगांसरा,, Isagd, Ashok Nagar, Madhya Pradesh	
4	श्री वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी , श्री चन्दन सिंह रघुवंशी, वार्ड नं. 07, म.नं. 129,, मंदिर मोहल्ला, ग्राम-मावन,, Guna, Guna, Madhya Pradesh	
5	श्री महावीर रघुवंशी , श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी, वार्ड नं. 20, म.नं. 461,, ग्राम-डुगांसरा,, Isagd, Ashok Nagar, Madhya Pradesh	
6	श्रीमती वन्दना रघुवंशी , श्री प्रदीप रघुवंशी, वार्ड नं. 07, म.नं. 129,, मंदिर मोहल्ला, ग्राम-मावन,, Guna, Guna, Madhya Pradesh	

7	श्रीमती आशा रघुवंशी , श्री वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी, वार्ड नं. 07, म.नं. 129,, मंदिर मोहल्ला, ग्राम-मावन,, Guna, Guna, Madhya Pradesh	आशा
6	हमें निम्नानुसार पदाधिकारी / सदस्य आदर्श उप-विधियाँ प्रारूप-एक क को सोसाइटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं । (अध्यक्ष) (सचिव) (कोषाध्यक्ष/सदस्य) दिनांक........................	

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें

चालान क्रमांक SBIN000615914752707201736779

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Voters Identity Card — पहचान पत्र का क्रमांक FHV0726737

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card — पते का क्रमांक FHV0726737

T.C RN 21745 24/8/2017

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

साक्षी:-

हस्ताक्षर :-........................

साक्षी का नाम :- श्री प्रियांशु शर्मा

साक्षी का पिता/पति:- श्री संतोष शर्मा

पूर्ण पता :- वार्ड नं. 35, विवेक कॉलोनी, कैण्ट गुना (म.प्र.)

अध्यक्ष — कोषाध्यक्ष — सचिव

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AP 734888

R.N. 21745
24/8/2012

सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

भारतीय गैर न्यायिक

सत्यमेव जयते

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AP 734889

RN : 21745 / 24/8/2012

नियमावली

आवेदन क्रमांक : S10601044385260072017 — अनुमोदन दिनांक : 15 Aug 2017

1.	सोसायटी का नाम **श्री रघुवंश शिक्षा एवं जन सेवा समिति** होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक वार्ड नं. 07, म.नं. 129, ग्राम-मावन 473001 तहसील गुना जिला गुना मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4.	**3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-**

1	जनता में शिक्षा के प्रचार के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय तथा अन्य प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और उनका संचालन करना एवं अल्प संख्यकों के शिक्षा, मदरसा एवं छात्रावास का संचालन करना।
2	ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज की भावना के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिये कार्य करना। ग्राम विकास हेतु शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना तथा शिविरों का आयोजन करना। पशु पक्षी एवं प्राणीमात्र की रक्षा हेतु कार्य करना तथा गौशाला का संचालन करना।
3	विकलांगों के कल्याणार्थ शिक्षण, प्रशिक्षण केन्द्र व वृद्ध आश्रमों का संचालन करना एवं कलाकारों को प्रोत्साहन देना एवं नशामुक्ति कार्यक्रम [illegible] युवक कल्याण, खेलकूद, महापुरुषों की शिक्षाओं एवं उनकी जयन्तियों एवं राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करना, राष्ट्रीयता, शांति सद्भावना एवं साम्पृदायिक एकता के लिए कार्य करना एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना। व्यायाम, योग स्वयं की रक्षा हेतु जूडो-कराते एवं आयुर्वेदिक व जड़ी-बूटियों के उपयोग की जानकारी देना।
4	डी.एड., बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., एन-टीचर इन्स्टीट्यूट पाठयक्रम एंव पत्राचार पाठ्यक्रम एवं व्यवसायिक डिप्लोमा कोर्स एवं प्रशिक्षण कोर्स के केन्द्रों का संचालन करना तथा विज्ञान एवं टेक्नॉलोजी के विकास हेतु कार्य करना।
5	विश्वविद्यालयों एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेशनल ओपन स्कूल द्वारा दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र का संचालन करना। एकडेमी कोर्स, वॉकेशनल कोर्स का संचालन करना। आई.टी.आई. व कम्प्यूटर केन्द्रों आदि पाठ्यक्रमों का संचालन करना।
6	श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों, दलितों, शोषितों बाल श्रमिकों, वेश्यावृति के व्यवसाय से लगे लोगों, असाध्य एवं घातक बीमारियों से गृषित लोगों, उनके परिवारों एवं महिलाओं एवं बच्चों की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर कार्य कर शासन की योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुँचाना।
7	पंचायत एवं समाज सेवा, महिला एवं बाल विकास,समाज कल्याण विभाग,खेल एवं युवा कल्याण विभाग,नेहरू युवा केन्द्र, अनूसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़ा वर्ग, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय,स्वायस्थ्य मंत्रालय और समाज कल्यारण बोर्ड की जनकल्याणकारी योजनाएं एंव कार्यक्रमों द्वारा गरीबों, विकलांगों, वृद्धों, महिलाओं एवं बच्चोंक, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजातियों, आदिवासी और अल्पसंख्यक,पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कार्य

अध्यक्ष — कोषाध्यक्ष — सचिव

	करना।
8	आवासीय आश्रम प्रशिक्षण संस्था विद्यालय और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन करना, परामर्श केन्द्र खोलकर लाभान्वित करना एवं शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार व प्रसार कराना। कृषकों के विकास हेतु कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये शासन के कार्यक्रम संचालित करना।
9	पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, भू-संरक्षण, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु कार्य करना एवं प्रशिक्षण व शिक्षण कार्यक्रम चलाना। अकाल, सूखा राहत, जल समस्याक, प्राकृतिक प्रकोप, आकस्मिक दुर्घटना, भूकम्प अन्य समस्याओं के आने पर कार्य करना एवं शासन का सहयोग करना। बच्चों के लिये झूलाघर बालवाड़ी का संचालन ।
10	उपभोक्ता संरक्षण एवं विधिक सहायता, जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण एवं सहायता केन्द्रा का संचालन करना। गरीबो के लिये सामुहिक विवाह का नियमानुसार आयोजन करना। दहेज, बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम का संचालन करना । हस्तशिल्पा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना एवं शिल्पककारों के कल्याणार्थ उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना व संचालित करना एवं शिल्पकारों के कल्याणार्थ कला कौशल मे वृद्धि हेतु शिक्षण व प्रशिक्षण देना।
11	खेलकूद एवं टूर्नामेंट खेल प्रतियोगिता [illegible] आयोजन करना तथा सॉस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
12	अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, सहरिया गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली ग्रामीण, शहरी, गन्दी बस्ती झुग्गी झोपड़ी निवासियों के कल्याण हेतु तथा पीड़ित, प्रताड़ित, विधवा, निराश्रित, विकलांग, जरूरतमंद परित्यक्ताओं निर्धन, विपत्ति ग्रस्त, एवं अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे तथा नेत्रहीन, विकलांगो के कल्याण हेतु [illegible] बालिकाओं और प्रौढ़ के लिये शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।
13	बुनियादी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा संस्थाओं व केन्द्रों का संचालन करना । झूलाघर, बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, पेंटिंग प्रशिक्षण सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टायपिंग, फल सब्जि परीक्षण प्रशिक्षण एवं खाद्य तथा पोषण प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना एवं विज्ञान शिक्षा सहित ललित कलाओं की अभिवृद्धि के लिये कार्य करना और पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन करना तथा स्वास्थ्य केन्द्र विकलांग केन्द्र , नशामुक्ति केन्द्र का संचालन करना।
14	नाबार्ड, नौराड, कपार्ट योजनांतर्गत केन्द्र खोलना व उनका संचालन करना। योग ध्यान एवं अध्यात्मिक के क्षेत्र मे कार्य करना । समाज के विभिन्न वर्गो जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तथा सर्व समाज के परिचय सम्मेलनो तथा सामुहिक विवाह सम्मेलनों का नियमानुसार आयोजन करना।
15	टीचर ट्रेनिंग महाविद्यालयों का संचालन करना, जैसे -डी.एड., बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड. एम.पी.एड. आदि पाठ्यक्रमों का संचालन करना एवं पत्राचार पाठ्यक्रम, व्यवसायिक डिप्लोमा कोर्स, विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स के केन्द्रों का संचालन करना तथा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के विकास हेतु कार्य करना ।
16	सामान्य महाविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करना । जैसे बी.ए., बी.एस.सी.,

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

	बी.कॉम (अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर सहित) बी.बी.ए., बी.सी.ए., डी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एस.सी., बी.ए.फायनल आर्टस, बी.ए. म्यूजिक, बी.एस.सी. इलेट्रोनिक्स डिप्लोमा एवं डिग्री कॉलेजों का संचालन करना ।
17	विश्वविद्यालयों एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेशनल ओपन स्कूल द्वारा दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र का संचालन करना । एकडेमी कोर्स, वॉकेशनल कोर्स का संचालन करना ।
18	आई.टी.आई. व कम्प्यूटर केन्द्रो आदि पाठ्यक्रमों का संचालन करना । पैरामेडिकल महाविद्यालय के पैरामेडिकल कॉउसिंल के द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का संचालन करना । नर्सिंग ट्रेनिंग महाविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे – ए.एन.एम., जी.एन.एम., पोस्टा बेसिक (डिप्लोमा), बी.एस.सी. नर्सिंग, एम.एस.सी. नर्सिंग आदि पाठ्यक्रमों का संचालन करना ।

5. **सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-**

(अ) संरक्षक सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।

(स) साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।

(द) अवैतनिक सदस्य: सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

6. **सदस्यता की प्राप्ति-**प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यता-** संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4. सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो ।

8. **सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी-

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।
3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।

5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-**

1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर

2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर।

3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. **(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा। **(ब)प्रबंधकारिणी सभा-** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होती है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। **(स) विशेष-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके द्वारा विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-**

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का **निर्वाचन** होगा।

(1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)**कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2**

अध्यक्ष　　　　कोषाध्यक्ष　　　　सचिव

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल**- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य**-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(य) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(क) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।

15. **अध्यक्ष के अधिकार**- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा व प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार**- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार**- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार**- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **बैंक खाता**- सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी**- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।

22. **संशोधन**- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक,

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. **विघटन-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. **सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

25. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26. **विवाद-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

हस्ताक्षर अध्यक्ष	हस्ताक्षर सचिव	हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

I.C
RN 21745
24/8/12

अध्यक्ष   कोषाध्यक्ष   सचिव

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AP 734890

Stamp Cancelled

R.N. 21745
24/8/2012

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AP 734891

Stamp

R.N. 21745
24/8/2012